

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती सजसव अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खेती संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
अल्हाबा	326	रामेश्वरलाल दत्त	882	0.24	रामेश्वरलाल	882	0.24
		शैलक-दत्त	1145		शैलक-दत्त	1145	
		श्रीकृष्ण दत्त	882	0.53	श्रीकृष्णशारदा	882	0.53
		दादू लाल देह	1146		दादू लाल देह	1146	
		श्रीधर शैल			शैल दत्त देह		
		दत्त कदमूर			शैल दत्त कदमूर		

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :- 8/11/21

क्रमांक :- ~~588~~ 768

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

PGKA 2021, प.स. मौलासर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

[Signature]
उप तहसीलदार, मौलासर
जिला न्यायालय (राज.)